Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बारां में तहसील छिपाबड़ोद के पटवार हल्का कुंभा खेड़ी अतिरिक्त चार्ज बिलंडी के पटवारी श्री अश्विनी सिंह को 4500/- रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 22 अप्रेल, मंगलवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी बारां इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री अवनी सिंह पटवारी पटवार हल्का कुंभा खेड़ी अतिरिक्त चार्ज बिलंडी को उसके द्वारा परिवादी से परवन वृहद्ध सिंचाई परियोजना के अंतर्गत (परिवादी को) मकान एवं ट्यूबवेल का मुआवजा दिलवाने की एवज में **7500/- रूपये** की रिश्वत राशि मुआवजे का चेक बनने से पूर्व एवं मुआवजा राशि का चेक बनने पर 10% रिश्वत राशि की अलग मांग की गई। जिस पर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन दिनांक 16 अप्रेल 2025 को करवाया गया जिसमें आरोपी द्वारा 3000/- रूपये दौराने मांग सत्यापन प्राप्त किये तथा 4500/- रूपये बाद में देना तय हुआ। आज दिनांक 22 अप्रेल 2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपी को 4500/- रूपये की रिश्वत प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा** ने बताया कि एसीबी चौकी बारां को परिवादी से एक शिकायत इस आशय की प्राप्त हुई की मेरा गांव सुखनेरी पवन वृहद्ध सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आता है जिसमें परिवादी के मकान व मकान के बाहर लगे ट्यूबवेल का मुआवजा दिलवाने की एवज में पटवारी श्री अश्विनी सिंह द्वार 7500/- रूपये की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी रेंज भरतपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री शिवराज मीना** के सुपरविजन में एसीबी चौकी बारां के **उप अधीक्षक पुलिस श्री प्रेमचंद मीणा** के नेतृत्व में आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री अश्विनी सिंह पटवारी को परिवादी से 4500/- रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।